

कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: अधिसूचना :-

क्रमांक/320/202204200900034/अ-82/भू-अर्जन/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 14/02/2026

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि ग्राम-वनउसरी, तहसील-कोण्डागांव के अंतर्गत वनउसरी-माकड़ी मार्ग के कि.मी. 2/2 नांरगी नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

-: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन-


1. जिला - कोण्डागांव
2. तहसील - कोण्डागांव
3. ग्राम - वनउसरी
4. भूमि का क्षेत्रफल- 0.164 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
वनउसरी		
1. आर.एफ.-970	1.582	0.032
2. आर.एफ.-970	0.530	0.024
3. आर.एफ.-970	1.645	0.012
4. आर.एफ.-970	1.324	0.020
5. आर.एफ.-970	1.010	0.024
6. आर.एफ.-970	1.217	0.004
7. आर.एफ.-970	0.580	0.004
8. आर.एफ.-970	0.935	0.004
9. आर.एफ.-970	0.938	0.008
10. आर.एफ.-970	0.342	0.012
11. आर.एफ.-970	1.915	0.020
योग :- 11	12.018	0.164

//2//

- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(नुपूर राशि पन्ना)
कलेक्टर

जिला-कोण्डागांव
एवं प्रदेश उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक/9¹⁰-A/202204200900034/अ-82/भू-अर्जन/2021-22 कोण्डागांव, दिनांक 17/03/2026
प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ0ग0) को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
2. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू-अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला- कोण्डागांव (छ0ग0) को उपलब्ध कराने बाबत्।
3. तहसीलदार कोण्डागांव को अधिसूचना की प्रति कार्यालय तहसीलदार कोण्डागांव, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव, कलेक्टर जिला-कोण्डागांव, कार्यालय ग्राम पंचायत-वनडसरी, कार्यालय जनपद-पंचायत-कोण्डागांव में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ0ग0) को पृथक-पृथक उपलब्ध कराने बाबत्।


(नुपूर राशि पन्ना)
कलेक्टर
जिला-कोण्डागांव

एवं प्रदेश उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग